

भरतपुर में एनएच 21 पर आंदोलन चौथे दिन भी जारी

ओबीसी के 21 प्रतिशत में से 12 प्रतिशत अलग से आरक्षण देने की मांग

भरतपुर, (निर्स)। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर बड़े माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य समाज के लोगों का महापड़ाव भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर अरोदा के पास चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी ओबीसी के 21 प्रतिशत में से 12 प्रतिशत आरक्षण अलग से दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से वार्ता के लिए कैबिनेट मंत्री पर्यटन विश्वेंद्र सिंह व संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा पिछले 2 दिन से लगातार समझौता वार्ता का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आंदोलनकारी समझौता वार्ता में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक आंदोलन का समाधान नहीं हो सका है। हालांकि देर रात्रि को संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा जिला कलेक्टर आलोक रंजन आईजी प्रसन्न कुमार खमैसा एसपी श्याम सिंह को

मंत्री विश्वेंद्र सिंह व संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा पिछले दो दिन से लगातार समझौता वार्ता का प्रयास कर रहे हैं

ओर से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ देर रात्रि तक आईजी ऑफिस में समझौता वार्ता चली थी जिसमें अंत में सहमति भी बन गई थी। प्रशासनिक स्तर पर हुई वार्ता के बाद आज इस महापड़ाव के समाप्त होने के आसार बन रहे थे। परन्तु आज भी आंदोलनकारी हाईवे पर डटे हैं। कैबिनेट पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वार्ता के लिए प्रयास किए हैं। उम्मीद है इसका समाधान निकल सकता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वार्ता

के लिए पिछले दो दिनों से भरतपुर में डेरा डाले कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आंदोलनकारियों पर यह आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि एनएच 21 के धरना स्थल पर शराब पीकर डीजे की धुन पर लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन को खत्म होने में अभी समय लग सकता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मामले का हल निकालने के लिए आंदोलनकारियों के पास उन्होंने सैनी समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भेजा लेकिन उन्हें दुत्कार कर भगा दिया गया। मंत्री सिंह ने धरने में बैठे लोगों को बाहरी बताते कहा कि इनमें से कोई अलवर का है तो, कोई धौलपुर का है अगर इन्हें आंदोलन ही करना था तो अपने अपने जिलों में करते। वे एनएच 21 को उष्ण कर मरीज से लेकर आमजन की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं।

भरतपुर में फाइनेंस कर्मचारियों से अलवर आर.टी.ओ. के 7 लाख 79 हजार रुपये लूटे कर्मचारियों का वेतन अटका

भरतपुर, (निर्स)। भरतपुर के अटलबंद थाना इलाके के इंद्रा नगर कॉलोनी में दोपहर करीब 1 बजे एक बदमाश ने दो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 7 लाख 79 हजार की लूट कर ली। दोनों कर्मचारी बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए बैंक में जा रहे थे। तभी फाइनेंस कंपनी के पास ही एक बदमाश ने दोनों कर्मचारियों की बाइक में लात मारी जिससे वह गिर गए और इतने में बदमाश ने एक कर्मचारी के सिर पर कट्टे का बट मारा और उससे पैसे से भरा बैग छीन कर उन्हीं की बाइक लेकर फरार हो गया।

इंद्रा नगर कॉलोनी में भारत फाइनेंस नाम से एक कंपनी है। आज दोपहर फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर जितेंद्र शर्मा और एक कर्मचारी महेश यादव के साथ यह वारदात हुई। बदमाश के पास एक कट्टा भी था। बदमाश ने कट्टे का बट सीधे महेश यादव के सिर पर मारा और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। दोनों कर्मचारी जब तक संभल पाते तब तक बदमाश हथियार दिखाकर दोनों कर्मचारियों की बाइक लेकर फरार हो गया। घटना के बाद दोनों कर्मचारी अटलबंद थाने पहुंचे और लूट का मामला दर्ज करवाया।

अलवर, (निर्स)। अलवर में राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभाग आरटीओ के कर्मचारियों का वेतन रूका हुआ है। अलवर आरटीओ ऑफिस के ज्यादातर बाबू, सूचना सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक माह का वेतन अटका पड़ा है वहीं एक बाबू को तो दो माह से वेतन ही नहीं मिला है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के एक बाबू राजेन्द्र शर्मा को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला है। शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि उसे परिवार चलाने में काफी परेशानी

हो रही है। उसने बताया कि यह सब डबल एओ कमल गुप्ता की लापरवाही का नतीजा है। जब इस विषय पर डबल एओ से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सब तकनीकी खराबी के चलते हुआ है वेतन के लिए मेल रिक्वेस्ट डाल दी गई है दो चार दिन में कर्मचारियों का वेतन मिल जाएगा। अब सवाल उठता है अगर मेल ही डालनी थी तो इतने दिन बाद क्यों डाली गई क्योंकि बाबू राजेन्द्र शर्मा ने उन्हीं चेतावनी दे दी कि अगर मेरा वेतन दो दिन में नहीं मिला तो वे अपने जीवन के साथ कुछ भी कर सकते हैं।

तारानगर एसडीएम ऑफिस पर आंदोलनकारी किसानों ने कब्जा करने का प्रयास किया

पुलिस व आरएसी के जवानों के रोकने के बाद दिल्ली-बीकानेर हाइवे जाम किया



तारानगर उपखण्ड कार्यालय में जबरन घुसने का प्रयास करते किसान।

तारानगर, (निर्स)। बीमा क्लेम व क्रांप कटिंग सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा चले रहे धरने ने बुधवार को 99 वें दिन विशाल रूप ले लिया। किसान सभा के किसानों ने कृषि उपज मंडी में विशाल जन सभा की। किसानों की प्रशासन के साथ मांगों को लेकर वार्ता भी हुई। वार्ता विफल हो जाने के बाद किसानों ने शाम करीब साढ़े 6 बजे नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में कृषि उपज मंडी से रवाना होकर एसडीएम कार्यालय के मुख्य दरवाजे के आगे पहुंचे। किसानों ने एसडीएम कार्यालय में जबरन घुसने का प्रयास किया लेकिन

दरवाजे पर तैनात पुलिस व आरएसी के जवानों ने किसानों को एसडीएम कार्यालय के बाहर मुख्य दरवाजे के आगे ही रोक लिया। किसानों ने एसडीएम कार्यालय में घुसने की जोर आजमाइश की लेकिन पुलिस बल के रोकने के कारण वे एसडीएम कार्यालय में घुसने में सफल नहीं हो सके। पुलिस की ओर से एसडीएम कार्यालय में नहीं घुसने देने पर आक्रोशित किसानों ने एसडीएम कार्यालय के दरवाजे के आगे लगे पुलिस बैरिकेड व तंबू को उखाड़ दिया व एसडीएम कार्यालय के आगे दिल्ली बीकानेर हाइवे पर जाम लगाकर धरना

बीमा क्लेम व क्रांप कटिंग सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का धरना जारी

देकर बैठ गए। किसानों ने एसडीएम कार्यालय के मुख्य दरवाजे के आगे ही सभा करनी शुरू कर दी। समाचार लिखे

जाने तक किसानों का एसडीएम कार्यालय के मुख्य दरवाजे के आगे धरना, सभा व दिल्ली बीकानेर हाइवे पर जाम जारी था। किसान सभा के एडवोकेट निर्मल प्रजापत ने बताया कि जब तक सरकार किसानों को क्रांप कटिंग रिपोर्ट नहीं देगी तब तक उनका एसडीएम कार्यालय के आगे महापड़ाव जारी रहेगा। किसानों के घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की चेतावनी के चलते प्रशासन ने बुधवार दोपहर बाद कस्बे के सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करवा दिया ताकि किसान सरकारी कार्यालय में घुसकर उन पर कब्जा न कर सकें।

राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, राजसमन्द

गुर्जर गुडा, आर.टी.ओ. ट्रेक के पीछे, राजनगर, जिला राजसमन्द ई मेल DEO.RAJSAMAND.EXCISE@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक: प. () आब/राज/नीलामी/2022-23/644

दिनांक: 14-06-2022

-: वाहन नीलामी विज्ञापित :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी जिला राजसमन्द के क्षेत्राधिकार में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के धारा 69 (4 व 7) के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों में जप्त किये गये निम्नलिखित भारी/वाहनों, हल्के/चौपहिया वाहनों, दो पहिया वाहनों को सक्षम अधिकारियों द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के धारा 69 (4 व 7) के अन्तर्गत अधिहरण (राजसात) किया जाकर सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाना है। निम्नलिखित वाहनों की नीलामी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी राजसमन्द के स्तर पर गुर्जर गुडा, आर.टी.ओ. ट्रेक के पीछे, राजनगर कार्यालय परिसर में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 30.06.2022 को प्रातः 11.00 बजे से लगातार की जावेगी।

नीलामी योग्य वाहनों के बारे में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में जिला आबकारी अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त की जा सकती है तथा नीलामी योग्य कॉलम 06 पर अंकित स्थानों में जहां खड़े हुए हैं, जैसी स्थिति में है, देखे जा सकते हैं।

क्र. सं.	जवाब कर्ता कार्यालय	अभियोग संख्या	जवाबी रिपोर्ट में वाहन का प्रकार एवं रजि.नं.	वाहन का इंजन नम्बर व चैचिस नम्बर	वाहन जहां खड़ा है।
1	पुलिस थाना देलावाड़ा	53/2017	ट्रक RJ-20-GA-0247	426021EUZ721815 D591451050D62402246	पुलिस थाना देलावाड़ा
2	पुलिस थाना भीम	25/2015	ट्रक RJ-18-GA-5428	MAT466420C3C08579 21C6324815	पुलिस थाना भीम
3	आबकारी वृत्त नाथदादा	03/2030	टाटा ट्रक एलपीटी RJ-19-GG-0547	MAT544065J7P29276 4977TC14TRY843493	आबकारी वृत्त नाथदादा
4	पुलिस थाना नाथदादा	16/2019	मिनी ट्रक RJ-30-JA-2738	407	पुलिस थाना नाथदादा
5	पुलिस थाना केलवा	150/2017	ट्रक HR-58-A-7519	नहीं	पुलिस थाना केलवा
6	आबकारी निरीक्षक वृत्त देगवड़	16/2018	टाटा ट्रक HR-55-T-6598	MAT448033E7B02539 84156028	आबकारी निरीक्षक वृत्त देगवड़
7	पुलिस थाना भीम	186/2017	आइसर HR-67-B-3630	MC2F8HR0CGJ120713 E413CDGJ105607	पुलिस थाना भीम
8	पुलिस थाना देगवड़	259/2018	ट्रक GJ-18-AV-7746	MAT457010BTE15737 4977C92BWWY825067	पुलिस थाना देगवड़
9	पुलिस थाना नाथदादा	121/2017	टर्बो ट्रक RJ-27-G-9717	426021WZ130468 30162297371	पुलिस थाना नाथदादा
10	पुलिस थाना खमनौर	266/2015	टाटा ट्रक RJ-09-GA-5868	373341JWZ726994	पुलिस थाना खमनौर
11	पुलिस थाना खमनौर	157/2019	मारुति 800 RJ-30-CA-1808	MA3ECA12S02787972 FABIN4183940	पुलिस थाना खमनौर
12	पुलिस थाना भीम	267/2019	कार बिना नम्बरी	MBLA85IELHM251511 D4FBHM301288	पुलिस थाना भीम
13	पुलिस थाना देलावाड़ा	136/2019	हुड्डई कार GJ-2AC-4451	MALCM41UR7M023244 D4FA7W096409	पुलिस थाना देलावाड़ा
14	पुलिस थाना दिवेर	09/2020	रिफ्लेक्ट कार GJ-9BA-0901	MBHCZC035KE426440 D13A3519773	पुलिस थाना दिवेर
15	पुलिस थाना रेलमगरा	45/2019	सूट्टो कार RJ-30-CA-1877	MAHA516RYM090762 CYHC4M90729	पुलिस थाना रेलमगरा
16	पुलिस थाना राजनगर	140/2018	मारुति सुजुकी रिफ्लेक्ट कार RJ-18-CB-0369	MA3FJED1S0278986 D13A2086014	पुलिस थाना राजनगर
17	पुलिस थाना देलावाड़ा	82/2019	पिकअप RJ-27-JC-0833	MA1Z2FGHKF1L81389 GHF1L59500	पुलिस थाना देलावाड़ा
18	आबकारी थाना राजसमन्द	07/2019	टाटा इन्डिगो एल.एल. RJ-09-CA-6156	601144CU0P33146 4751D112CUZP34262	आबकारी थाना राजसमन्द
19	आबकारी थाना कामलीघाट	85/2016-17	अल्टो मारुति सुजुकी RJ-06-CA-8688	नहीं	आबकारी थाना कामलीघाट
20	आबकारी थाना नाथदादा	73/2018-19	फोर्ड फिगो कार RJ-14-CJ-8212	नहीं	आबकारी थाना नाथदादा
21	आबकारी थाना राजसमन्द	17/2018-19	अल्टो एल.एल.ओ कार RJ-14-9C-4582	aF8DN4064240 MA3EYD81S00467355	आबकारी थाना राजसमन्द
22	पुलिस थाना भीम	33/2020	कार GJ-05-SE-4201	MDHFBUK13AADD4314 FDHURVJK13K15	पुलिस थाना भीम
23	पुलिस थाना देगवड़	323/2019	अल्टो कार RJ-30-CA-3647	MA3EUA6500D52139 FTBDN6106867	पुलिस थाना देगवड़
24	पुलिस थाना देगवड़	227/2016	बेल्लो पिकअप लोडिंग बिना नम्बरी	ZPCTAKEZE700 TAE4E7859	पुलिस थाना देगवड़
25	पुलिस थाना देगवड़	38/2017	मैक्स महिन्द्रा RJ-12-C-1576	ACY1G31338	पुलिस थाना देगवड़
26	पुलिस थाना कांकरोली	152/2017	कार RJ-06-CC-0183	MALCU45VLEM165562 D4FBDU357097	पुलिस थाना कांकरोली
27	पुलिस थाना देगवड़	378/2019	मारुति अल्टो बिना नम्बरी	MA3EVA61500352139 F8BN6106867	पुलिस थाना देगवड़
28	पुलिस थाना नाथदादा	201/2016	रिफ्लेक्ट वीडीआई कार RJ-27-CE-6491	946255 2644495	पुलिस थाना नाथदादा
29	पुलिस थाना भीम	269/2015	मेटोस कार बिना नम्बरी	19M03D03038749 68CV490680	पुलिस थाना भीम
30	पुलिस थाना भीम	290/2013	मारुति कार RJ-10-2C-9381	SP30L92106874 F8VINI562419	पुलिस थाना भीम
31	आबकारी थाना कामलीघाट	11/2020	थ्री व्हीलर टैम्पो RJ-30PA-1414	03K27F17712 03K27E16888	आबकारी थाना कामलीघाट
32	पुलिस थाना खमनौर	195/2012	टी.बी.एस स्टाार RJ-12-SD-1460	MD625NF1891G16834	आबकारी थाना खमनौर
33	पुलिस थाना राजनगर	176/2019	मोटर साइकिल डिस्कवर RJ-30-SG-8475	MD2DSJZZVPAY2292 JZUBVA15896	पुलिस थाना राजनगर

34	पुलिस थाना भीम	161/2018	मोटर साइकिल RJ-30-SL-9295	MBLHA10BJEHL29636 HA10ETEHL69830	पुलिस थाना भीम
35	पुलिस थाना भीम	514/2018	स्कुटी बिना नम्बरी	MBLFW010J4F11302 JF33ABJ4F1110	पुलिस थाना भीम
36	पुलिस थाना भीम	142/2020	स्कुटी RJ-30-SR-0447	MBLJFM029HGHO JF33ACG05574	पुलिस थाना भीम
37	पुलिस थाना भीम	176/2020	मोटर साइकिल RJ-30-SS-5260	MBLHAR086HRM02460 HA10AGH4M03977	पुलिस थाना भीम
38	पुलिस थाना दिवेर	33/2020	मोटरसाइकिल RJ-30-SH-8576	MBLHA11ETD9D05118/ HA11IEGD9D13100	पुलिस थाना दिवेर
39	पुलिस थाना भीम	116/2018	मोटर साइकिल RJ-06-SQ-7393	MD625MF59B1D76578 DF5DB1008641	पुलिस थाना भीम
40	पुलिस थाना नाथदादा	119/2020	मोटरसाइकिल RJ-09-AC-7864	नहीं	पुलिस थाना नाथदादा
41	पुलिस थाना देगवड़	74/2018	मोटर साइकिल बिना नम्बरी	DHZCG47475 MD2A11C46ECH8120	पुलिस थाना देगवड़
42	पुलिस थाना देगवड़	163/2020	मोटर साइकिल RJ-30-SU-7375	MD2B37AY8KRA78213 PFYRKA21411	पुलिस थाना देगवड़
43	पुलिस थाना नाथदादा	252/2013	मोटर साइकिल RJ-30-IM-6371	990GF34762 9906M392605	पुलिस थाना नाथदादा
44	पुलिस थाना दिवेर	25/2017	मोटर साइकिल RJ-30-SK-1305	ME4J621MDBR001952 JC62F80020609	पुलिस थाना दिवेर
45	आबकारी थाना नाथदादा	15/2017	मोटर साइकिल RJ-30-3M-0694	373341JWZ726994	आबकारी थाना नाथदादा

नीलामी की शर्तें एवं उक्त विज्ञापित आबकारी विभाग की वेबसाइट WWW.RAJEXCISE.COM पर भी उपलब्ध है।

जिला आबकारी अधिकारी,
राजसमन्द

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

- वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है, नीलाम किया जायेगा। अतः बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि बोली लगाने से पूर्व वाहन का पूरा परीक्षण कर लें तथा वाहन के विवरण के बारे में अपने आप को संतुष्ट करने के उपरांत ही बोली लगावें।
- प्रत्येक वाहन की बोली अलग-अलग (वाहन वार) लगानी होगी।
- नीलामी में बोली लगाने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में भारी वाहनों के मामले में ₹. 25000/- हल्के चार पहिया वाहनों के मामले में ₹. 15000/- तथा दुपहिया वाहनों के मामले में ₹. 5000/- वाहन वार नीलामी तिथि दिनांक 30.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे तक जमा करानी होगी।
- नीलामी में सफल बोलीदाता को वाहन के विक्रय पर नियमानुसार प्रवृत्त समस्त प्रकार के राजकीय कर, फीस, जी.एस.टी एवं वैट आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा करानी होगी।
- वाहन के पंजीयन एवं हस्तांतरण आदि कराने के समस्त व्यय एवं औपचारिकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी बोली छुड़ाने वाले की होगी। वाहन नीलामी के पश्चात इस कार्यालय द्वारा उच्चतम बोलीदाता को रिलीज मीमा किया जायेगा, जिसके आधार पर संबंधित पंजीयन कार्यालय से वाहन का स्थानान्तरण/पंजीयन कराने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- अंतिम (सफल) बोलीदाता को अंतिम बोली की 1/4 राशि तुरन्त जमा करानी होगी एवं 3/4 राशि तथा नियमानुसार प्रवृत्त समस्त राजकीय कर की राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर/चालान के द्वारा सात दिवस (नीलामी दिनांक को सम्मिलित करते हुए) में जमा करानी होगी अन्यथा बोली निरस्त कर जमा 1/4 राशि जप्त कर ली जायेगी।
- इस नीलामी की विज्ञापित में जप्त वाहनों की उक्त वर्णित सूचना विभिन्न आबकारी वृत्तों/आबकारी थानों/पुलिस थानों से प्राप्त कर दर्ज की गई है। तदनुसार इस विज्ञापित में वाहन के पंजीयन नम्बर/इंजन नम्बर/चेचिस नम्बर प्रकाशन में सावधानी बरती गई है, फिर भी उक्त वाहनों के पंजीयन नम्बर/इंजन नम्बर/चेचिस नम्बर वहीं मान्य होंगे जो उक्त वाहन पर अंकित है। जिनका सत्यापन बोलीदाता स्वयं कर लेवे।
- किसी भी बोली को स्वीकार करने, अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार आबकारी विभाग/नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
- नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण, नीलामी की शर्तें एवं वाहनों की सूची का प्रकाशन जिला आबकारी अधिकारी राजसमन्द के नोटिस बोर्ड पर होगा। कार्यालय समय में कभी भी अवलोकन किया जा सकता है।
- भारी चार पहिया वाहन, हल्के चार पहिया वाहनों की बोली अंतिम रूप से स्वीकार करने का अधिवार क्रमशः श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय, राजस्थान उदयपुर एवं श्रीमान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त महोदय, जोन उदयपुर को है। इसीलिए आबकारी आयुक्त महोदय/अतिरिक्त आबकारी आयुक्त महोदय उच्चतम बोली की स्वीकृति पुष्टि आने पर ही बोली को अंतिम माना जायेगा। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन की उच्चतम बोली की पुष्टि नहीं की जा सकती है तो वह बोली निरस्त समझी जायेगी तथा उच्चतम बोलीदाता की जमा राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी। नीलामी राशि अंतिम रूप से पुष्टि होने पर शेष राशि 3/4 (75 प्रतिशत) सात दिवस में जमा कराना अनिवार्य है।
- वाहनों की नीलामी पश्चात उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- सफल बोलीदाता (क्रेता) को वाहन छुड़ाने से पूर्व सक्षम अधिकारी अपनी स्वयं की पहचान और स्थायी निवास के पते के सत्यापन हेतु मय पासपोर्ट साइज फोटो के समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- बोलीदाता को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत या तो पंजीकृत व्यवसायी होनी अथवा नीलामी के 30 दिवस में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी विवाद पर न्यायिक क्षेत्राधिकार राजसमन्द रहेगा।

जिला आबकारी अधिकारी,
राजसमन्द